अनदेखी | रेलवे और स्थानीय भाजपा नेतृत्व की उदासीनता उजागर, सस्ती दवाओं के लिए तरस रहे लोग

शोभा की सुपारी बना प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र

नैनपुर, नवभारत। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जब प्रशासनिक उदासीनता और स्थानीय नेतृत्व की अनदेखी का शिकार होती हैं, तो खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हाल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर डिवीजन के अंतर्गत आने वाले नैनपुर रेलवे स्टेशन पर बने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का है। करोड़ों की सदस्यता का दावा करने वाली भाजपा और रेलवे प्रशासन की नाक के नीचे यह केंद्र आज केवल 'शोभा की सुपारी' बनकर रह गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को बाजार से बेहद कम दामों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराना था। नैनपुर में यह केंद्र बनकर तैयार

हुआ और कुछ समय तक इसका संचालन भी किया गया। लेकिन विडंबना यह है कि पिछले कई महीनों से इस केंद्र पर ताला लटका हुआ है।

कार्यकर्ताओं की कमी या इच्छाशक्ति का अभाव

एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी मिस कॉल के जरिए देश भर में लाखों-करोड़ों सदस्य बनाने का अभियान चला रही है, वहीं नैनपुर में एक भी ऐसा समर्पित कार्यकर्ता या संचालक नहीं मिल पा रहा है, जो प्रधानमंत्री की इस जनहितैषी योजना को सुचारू रूप से चला सके।

रेलवे के साथ स्थानीय प्रशासन भी मौन

महीनों से बंद पड़े इस केंद्र को लेकर न तो रेलवे प्रबंधन ने कोई सुध ली है और न ही स्थानीय भाजपा नेताओं ने इसे पुन: शुरू करवाने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाए हैं। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की इस उदासीनता के कारण क्षेत्र के लोगों को सस्ती दवाइयों का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे जनता में गहरा रोष व्याप्त है। वर्तमान स्थिति को देखकर सवाल उठता है कि क्या केवल बुनियादी ढांचा खड़ा कर देना ही काफी है? जब तक इसका लाभ जनता को नहीं मिलेगा, तब तक ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं सिर्फ कागजों और बंद कमरों तक ही सीमित रहेंगी।

टिकरिया में जल प्याऊ मंदिर का शुभारंभ

▸ जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जनजागरूकता की अनोखी पहल

नारायणगंज। जल संरक्षण और जन-जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत आज ग्राम टिकरिया में हनुमान मंदिर के पास जल प्याऊ मंदिर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता देखने को मिली।

इस अवसर पर जनपद उपाध्यक्ष अविनाश शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। साथ ही थाना टिकरिया के पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने सामाजिक पहल की सराहना की। कार्यक्रम में छ्रस्ष्ठस्ष्ठक के छात्र-छात्राओं, मेंटर परिवार एवं स्थानीय नागरिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को जल के महत्व एवं संरक्षण की आवश्यकता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वक्ताओं ने बताया कि आने वाले समय में जल संकट से बचने के लिए अभी से जागरूक होना बेहद जरूरी है। यह आयोजन जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक श्री राजेंद्र चौधरी एवं विकासखंड समन्वयक श्री संतोष झरिया के मार्गदर्शन में संपन्न हो रहा है। उनके नेतृत्व में इस प्रकार के जनहितकारी कार्य लगातार किए जा रहे हैं, जिन्हें ग्रामीणों द्वारा काफी सराहा जा रहा है। जन अभियान परिषद नारायणगंज के परामर्शदाताओं द्वारा विभिन्न ग्रामों में जल प्याऊ मंदिर स्थापित कर जल संरक्षण के प्रति एक नई जागरूकता पैदा की जा रही है, जिससे क्षेत्र में सकारात्मक संदेश फैल रहा है।

अचानक बढ़ गया एक्टिवा का एक्सीलेटर, तालाब में गिरी शिक्षिका

जबलपुर। हनुमानताल तालाब में बुधवार को पूजा सामग्री विसर्जित करने आईं एक महिला शिक्षिका अनियंत्रित होकर अपनी स्कूटी समेत गहरे तालाब में जा गिरीं। दरअसल अचानक एक्टिवा का एक्सीलेटर बढ़ गया था। घाट पर मौजूद लोग चीख पुकार मचाने लगे, तभी तैनात पुलिस के जवानों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए पानी में छलांग लगा दी और महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अमखेरा निवासी सुनीता सिंह शिक्षिका हैं। वे बुधवार को अपनी एक्टिवा से पूजा सामग्री विसर्जित करने के लिए हनुमानताल तालाब पहुंची थीं। बताया जा रहा है कि जब वे घाट के समीप थीं, तभी अचानक उनकी एक्टिवा का एक्सीलेटर बढ़ गया। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि शिक्षिका उस पर नियंत्रण नहीं रख पाईं और देखते ही देखते गाड़ी सीधे तालाब के गहरे पानी में चली गई। महिला को पानी में डूबता देख मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवानों ने जैसे ही यह मंजर देखा, वे बिना समय गंवाए पानी में कूद पड़े। दोनों पुलिसकर्मियों ने पानी के भीतर कड़ी मशक्कत की और डूब रही शिक्षिका को पकड़कर किनारे तक लाए। समय रहते मदद मिलने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया और शिक्षिका की जान बच गई। तालाब से बाहर निकालने के बाद वे काफी घबराई हुई थीं, जिन्हें तत्काल पुलिसकर्मियों ने प्राथमिक उपचार दिलाया। सुरक्षित बचने के बाद शिक्षिका और उनके परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया है।

संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की उस अपील पर स्थगन देने से इनकार कर दिया, जिसमें सिंगल बेंच द्वारा संविदा कर्मियों के पक्ष में दिए गए निर्णय को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि यह बड़े वर्ग के भविष्य से जुड़ा मसला है, इसलिए इस पर स्थगन नहीं दिया जाएगा। सरकार को सिंगल बेंच के निर्णय का पालन करने के निर्देश दिये है।हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने 9 अप्रैल को कहा था कि 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके संविदा कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग की 7 अक्टूबर 2016 की नीति का लाभ दिया जाए। जिस प्रकार दैनिक वेतन भोगियों कोर्ी नयमित किया गया और उन्हें वेतनमान, भत्ते व वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई, वही लाभ अब संविदा कर्मियों को भी दिया जाएगा। इस निर्णय के खिलाफ सरकार ने अपील की थी। अधिवक्ता ओपी द्विवेदी ने बताया कि न्यायालय ने 9 अप्रैल को उनके मामले में दिए गए निर्णय को उचित ठहराते हुए सरकार की अपील निरस्त कर दी।

नारायणगंज में सप्ताह में एक दिन एसडीएम कोर्ट लगाने की मांग

▸ अधिवक्ता संघ ने कलेक्टर को सौंपा आवेदन

नारायणगंज। अधिवक्ता संघ नारायणगंज द्वारा आमजन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर को आवेदन सौंपकर सप्ताह में एक दिन एसडीएम कोर्ट नारायणगंज में संचालित किए जाने की मांग की गई है। अधिवक्ताओं का कहना है कि वर्तमान में एसडीएम न्यायालय निवास (मुख्यालय) में संचालित हो रहा है, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों को न्यायिक कार्यों के लिए 50 से 80 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है।

अधिवक्ता संघ ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले आम नागरिकों को कोर्ट पहुंचने में अत्यधिक समय और आर्थिक खर्च का सामना करना पड़ता है। कई बार लोगों को एक छोटे से कार्य के लिए पूरा दिन व्यर्थ करना पड़ता है, जिससे उनकी दैनिक

आजीविका भी प्रभावित होती है।

संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि यदि सप्ताह में एक दिन नारायणगंज में एसडीएम कोर्ट का संचालन किया जाता है, तो इससे न केवल क्षेत्रीय लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया भी अधिक सुलभ और प्रभावी हो सकेगी। यह व्यवस्था ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगी। अधिवक्ता संघ ने प्रशासन से जनहित को ध्यान में रखते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है, ताकि आमजन को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिल सके। इस दौरान संतोष सोनी, अनिल यादव, आशीष अग्रवाल, देवेन्द्र यादव, राजुल ज्योतिषी एवं मृदुकिशोर साहू सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे।

भूमि विवाद में सैनी परिवार पर लगे कब्जा, धमकी और दुष्प्रचार के आरोप

नवभारत, जबलपुर। शोमापुर-गोकलपुर वार्ड स्थित खसरा नंबर 391/12/झ एवं संबंधित भूमि को लेकर सिंह परिवार ने प्रेसवार्ता आयोजित कर सैनी परिवार पर अवैध कब्जा, धमकी और दुष्प्रचार के गंभीर आरोप लगाए। श्वेता सिंह ने बताया कि यह भूमि वर्षों पुरानी वैधानिक आवासीय संपत्ति है, जहां अनेक परिवार निवासरत हैं। प्रेसवार्ता में शोमना सिंह, नरेन्द्र सिंह, श्वेता सिंह, रमेश सिंह, महेश सिंह और रागिनी सिंह ने आरोप लगाया कि एडवोकेट आर.के. सैनी, राकेश सैनी, रोहित सैनी, सुभाष सैनी एवं उनके सहयोगी बिना अनुमति निर्माण कर उनकी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। परिवार का कहना है कि उन्हें लगातार धमकाया जा रहा है और झूठी शिकायतों के माध्यम से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।

बिना अनुमति हो रहा था पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर का उत्पादन

एक्वा ब्लू वाटर सप्लाई का लाइसेंस निलंबित

नवभारत,जबलपुर। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के अवैध कारोबार पर रोक लगाने कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार विजयनगर स्थित एक पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बिना उचित अनुमति के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का उत्पादन करने वाले इस प्लांट का खाद्य पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार दुबे के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बुधवार को एसबीआई कॉलोनी, उखरी रोड, विजयनगर स्थित एक्वा ब्लू वाटर सप्लाई का निरीक्षण किया। निरीक्षण

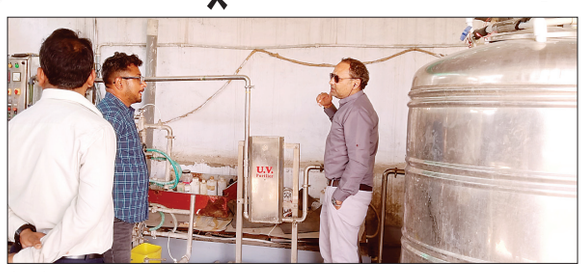

के दौरान पाया गया कि प्रतिष्ठान में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का उत्पादन बिना अनुमति के किया जा रहा था। प्रतिष्ठान के पास खाद्य पंजीयन तो है, लेकिन यह खाद्य पदार्थों के विक्रय प्रतिष्ठान के प्रकार का है। इस पंजीयन से खाद्य या पेय पदार्थों के निर्माण की अनुमति नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक भारत सरकार के 17 सितम्बर 2025 के आदेश के तहत पैकेटबंद पेयजल और मिनरल वाटर का निर्धारित प्रक्रिया से परीक्षण कराना अनिवार्य है, जिसका अनुपालन भी प्लांट संचालक द्वारा नहीं किया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं पंजीयन प्राधिकारी देवेंद्र कुमार दुबे ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 के अंतर्गत उपयुक्त अनुमति के अभाव तथा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किये जाने पर एक्वा ब्लू वाटर सप्लाई प्लांट का खाद्य पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

उर्पाजन | अभी तक 13 हजार किसानों ने किए स्लॉट बुक

516 किसानों ने हुई 18 हजार क्विंटल खरीदी

नवभारत,जबलपुर। जिले समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जिसमें अभी तक लगभग 18 हजार क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है।

प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक सीमा बौरसिया ने बताया कि जिले में अभी तक 516 किसानों से 18 हजार 162 क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है, जबकि 13 हजार 57 किसानों द्वारा गेहूं का विक्रय करने स्लॉट बुक किये जा चुके हैं। यह कुल पंजीकृत किसानों का 25.70 फीसदी है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशन में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिले में अभी 60 खरीदी केंद्रों पर गेहूं उपार्जन का कार्य चल रहा है।

50 हजार 788 किसानों ने कराया पंजीयन

प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक के मुताबिक जिले में गेहूं उपार्जन के लिये 50 हजार 788 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। उपार्जन के प्रारंभिक चरण में 2 हेक्टेयर और उससे कम कृषि भूमि धारित करने वाले किसानों के ही स्लॉट बुक करने का प्रावधान किया गया है। जल्दी ही मध्यम और बड़े किसानों के स्लॉट बुकिंग प्रारंभ कर दी जायेगी।

नोडल अधिकारी खरीदी केन्द्रों पर रखेंगे नजर

जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने जिले में स्थापित किये गये खरीदी केन्द्रों की निगरानी के लिये नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया है। नोडल अधिकारी खरीदी केन्द्रों की प्रतिदिन उपस्थित होकर न केवल उपार्जन की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखेंगे और उपार्जन से संबंधित कठिनाईयों का निराकरण करने, बल्कि किसानों की सुविधाओं का ध्यान भी रखेंगे। कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश जारी करने के साथ ही विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये हैं।

अवैध भंडारण की सूचना देने वालों को मिलेगा 21 हजार का इनाम

जिला प्रशासन ने समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन की प्रक्रिया से बिचौलियों और व्यापारियों को दूर रखने तथा वास्तविक किसानों से ही खरीदी सुनिश्चित करने के लिये गेहूँ के अवैध भंडारण की सूचना देने वाले व्यक्तियों को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है यदि कोई व्यक्ति 100 क्विंटल से 200 क्विंटल तक गेहूँ के अवैध भंडारण की सूचना देता है, तो उसे 5 हजार का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं, 200 क्विंटल से 500 क्विंटल तक के अवैध भंडारण की सूचना देने पर 11 हजार रूपये तथा 500 क्विंटल से अधिक गेहूँ के अवैध संग्रहण की सूचना देने वाले व्यक्ति को 21 हजार रूपये का नकद पुरस्कार दिया जायेगा। प्रशासन ने स्?पष्?ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूर्णत: गोपनीय रखा जाएगा। जिला प्रशासन ने गेहूँ के अवैध भंडारण की सूचना देने के लिए मोबाईल नंबर 62691 13327 जारी किया है। कलेक्टर जबलपुर के इस सीयूजी मोबाइल नम्बर पर व्हाट्सअप के जरिये भी बिचौलियों की जानकारी, फोटोग्राफ और वीडियो प्रदान किये जा सकेंगे।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश

महत्वपूर्ण सूचना
द्वितीय परीक्षा

वर्ष 2026 की हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी के अनुत्तीर्ण विषयों की परीक्षा देने अथवा अंक सुधार के लिए
द्वितीय परीक्षा का आयोजन

परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि में 26.04.2026 तक की वृद्धि की गई है

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा अब तक आयोजित होने वाली पूरक परीक्षा के स्थान पर अनुत्तीर्ण विषयों अथवा अंक सुधारने के लिए द्वितीय परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है।
- द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र मुख्य परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित होते ही एम.पी. ऑनलाइन के कियोस्क पर अपनी मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर द्वितीय परीक्षा के विषय, अनुक्रमांक (रोल नंबर) की जानकारी देकर शुल्क का नगद भुगतान कर परीक्षा आवेदन पत्र भर सकेंगे।
- द्वितीय परीक्षा में छात्र को अनुत्तीर्ण विषयों का चयन अनिवार्य है परन्तु उत्तीर्ण विषयों का चयन स्वैच्छिक है।
- द्वितीय परीक्षा की अंक सूची मुख्य परीक्षा की भांति जारी की जायेगी।
- मंडल द्वारा जारी अंक सूची का अधिभार सर्वमान्य है।
- वर्ष 2026 की हाईस्कूल द्वितीय परीक्षा दिनांक 07 मई 2026 से 19 मई 2026 तक एवं हायर सेकेण्डरी द्वितीय परीक्षा दिनांक 07 मई 2026 से 25 मई 2026 तक प्रातः 09:00 से 12:00 बजे तक निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी।

विस्तृत जानकारी एवं परीक्षा का कार्यक्रम मण्डल की वेबसाइट www.mpbse.nic.in पर उपलब्ध है।

म.प्र. माध्यम/125454/2026